रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



xxxGIDHxxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042023-245244 CG-DL-E-18042023-245244

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2023/चैत्र 27, 1945 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2023/CHAITRA 27, 1945

No. 237]

# कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 298(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 248 की उपधारा (1), (2) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना), नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) संशोधन नियम, 2023 है।
  - (2) ये 01 मई, 2023 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 4 में,-
  - (i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(1) धारा 248 की उप-धारा (2) के अधीन एक कंपनी के नाम को हटाने के लिए एक आवेदन प्ररूप सं. एसटीके-2 में रजिस्ट्रार, त्वरित कारपोरेट समापन प्रसंस्करण केन्द्र को दस हजार रूपये के शुल्क के साथ किया जायेगा।";
  - (ii) उप-नियम (3) में, खंड (iv) का लोप किया जाएगा;
  - (iii) उप नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3क) धारा 396 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित रजिस्ट्रार, त्वरित कारपोरेट समापन प्रसंस्करण केन्द्र, धारा 248 के अधीन प्ररूप सं. एसटीके-2 मे किए गये आवेदनों तथा उससे संबंधित सभी मामलों के प्रसंस्करण और निपटान के कार्यात्मक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के प्रयोजन से कंपनियों के रजिस्ट्रार होंगे, जिनका पूरे भारत में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होगा।"।

3. उक्त नियमों में, प्ररूप संख्या एसटीके-2, प्ररूप सं. एसटीके-6 और प्ररूप सं. एसटीके-7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूपों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

2503 GI/2023 (1)

# प्ररूप सं. एसटीके-2

# कंपनी द्वारा कंपनियों के रजिस्टर से उसका नाम हटाने के लिए आरओसी को आवेदन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) और कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 4 (1) के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें \* में चिहिनत सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं



	_	~-		
प्ररूप	का	भा	И	ſ

🧶 अंग्रेज़ी

ि हिंदी

इकाई विवरण		
1 * कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)		
2 (क) * कंपनी का नाम		
(ख) * रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता		
(ग) * कंपनी की ईमेल आईडी		
(घ) * क्या धारा 248 (1) के अधीन रजिस्ट्रार से एसटीके-1 प्ररूप में नोटिस प्राप्त ह्आ है।	O हां	🔾 नहीं
(ङ) कंपनी के बंद होने के कारण (निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार शुरू करने में विफल / दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अविध के लिए कोई भी कारोबार या संचालन नहीं कर रही है तथा धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति/प्राप्त करने के लिए ऐसी अविध के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है/ज्ञापन के अभिदाता ने उक्त अभिदान का भुगतान नहीं किया है जो उन्होंने निगमन के समय भुगतान करना था और इस आशय की घोषणा धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन निगमन के एक सौ अस्सी दिन के भीतर फाइल नहीं की गई है/कंपनी कोई कारोबार या संचालन नहीं कर रही है धारा 12 की उपधारा (9) के अधीन किए गए भौतिक सत्यापन के बाद जिसका पता चला है।		▼
3 * क्या कंपनी को सूची से हटाया किया गया है	○ हाँ	🔾 नहीं
4 * क्या कंपनी की कार्यकलापों को किसी विशेष अधिनियम के अधीन आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई आदि जैसे एक क्षेत्रीय विनियामक द्वारा विनियमित किया जाता है	<b>्र</b> हॉ	🔾 नहीं
(क) यदि हाँ, तो नियामक का नाम निर्दिष्ट करें (भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड/बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण/ अन्य)		•
यदि अन्य हैं, तो कृपया निर्दिष्ट करें		
(ख) विनियामक निकाय के अनुमोदन की तारीख <i>(दिन/माह/वर्ष)</i>		

5 * 5	क्या नाम को हटाने के लिए	विशेष प्रस्ताव पारित किया गर	π है	<b>○</b> हां	🔵 नहीं
₹	संबंधित प्ररूप संख्या एमजीटी	-14 का एसआरएन (विशेष प्रस	ताव फाइल करने के लि	ए)	
6 * 5	संगम ज्ञापन (एमओए) के 3	ानुसार कंपनी के मुख्य उद्देश्य	ं का संक्षिप्त विवरण		
* नि (नि अन	देशक (कों), प्रबंध निदेशक, देशक या प्रबंध निदेशक के व यथा आयकर-स्थायी खाता सं	तेदेशक, प्रबंधक, सचिव, सीईओ प्रबंधक, सचिव, सीईओ या सीए मामले में, निदेशक पहचान संख ख्या (आयकर-पैन) या पासपोर्ट या पासपोर्ट संख्या ) डीआईए	एफओ की संख्या या (डीआईएन) दर्ज करें। ं नंबर उपबंध करें)		
(ख)	*नाम				
	(कंपनी से जुड़े निदेशक(ओं)/केएमपी	· (ओं))			
(ग)	*पद				
(ঘ)	वर्तमान आवासीय पता * पता पंक्ति ।				
	पता पंक्ति ॥				
	* देश				V
	* पिन कोड				
	* क्षेत्र/स्थानीयता				
	* शहर				
	* जिला				
	* राज्य				
, ,	<ul> <li>क्या कंपनी के विरुद्ध या इ</li> <li>मुकदमा लंबित है</li> <li>लंबित मुकदमे के संबंध में ब्ये</li> </ul>	समें शामिल या इसके निदेशकों में रा	किसी पर कोई	हां 🔾 नहीं	0
	अधिनियम जिसके अधीन	उस प्राधिकारी का नाम	मामला संख्या	विषय	
	मुकदमेबाजी लंबित है	जिसके समक्ष यह लंबित है			
-	i	ii	iii	iv	
-					
	पंक्ति जोईं पंक्ति हट	<u>।एँ</u>			

\* पदनाम

4 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(i)]
9 मैं, * प्रतिपाद के अधीर अंग्रिक के अधीर के किया के अधीर के किया के अधीर के किया के अधीर के अ	
अधिनियम की धारा 248 के अधीन कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के लिए यह आवेदन करत करता हूँ कि:	ना हू आर धाषणा
(i) मुझे कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के लिए इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने और उसे प्रस्तुत निदेशक मंडल के संकल्प संख्या* तारीख * प्राधिकृत किया गया है।	न करने के लिए द्वारा
(ii) आवेदन धारा 248 की उप-धारा (1) और (2) और धारा 249 की उप-धारा (1) के अधीन उल्लिखित शर्तों वे है;	<sup>ह</sup> अनुसार किया गया
(iii) कंपनी के विरुद्ध इस तरह के निरीक्षण या जांच से उत्पन्न कोई निरीक्षण या जांच का आदेश नहीं दिया व किया गया है या अभी तक नहीं किया गया है या किया जाना है और जहां निरीक्षण या जांच की गई है, ऐसे वि उत्पन्न कोई अभियोजन किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है;	
(iv) कंपनी के पास न तो कोई सार्वजनिक जमाराशियां हैं जो बकाया हैं और न ही उसके पुनर्भुगतान या उस प कंपनी चूक कर रही;	र ब्याज पर कोई
(v) कंपनी के पास कोई बकाया ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं है; (vi) कंपनी पर आयकर, वैट, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, सेवा कर या कार्य चाहे किसी भी नाम से ज्ञात है, केंद्रीय सरकार, विधिक प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण को देय हो किसी अन्य कर के प्रति कोई बकाया नहीं है। (vii) कंपनी की अन्य सभी देयताओं का निपटान कर दिया गया है या उनका निर्वहन कर दिया गया है या सम है;	
(viii) कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने और उसके आनुषंगिक या पूरक मामलों से संबंधित अधिनि	ोयम की सभी अपेक्षाएं
और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम का अनुपालन किया गया है; (ix) मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस आवेदन में दी गई जानकारी और इसके संलग्नक सही और पू (x) अपेक्षित शुल्क का भुगतान किया जाएगा;	र्ण हैं;
(xi) प्रदत्त शेयर पूंजी के निबंधनों के अनुसार पचहत्तर प्रतिशत सदस्यों की सहमति प्राप्त कर ली गई है।	
मैं/हम समझता हूं/समझते है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 251 के अधीन यदि आवेदन, कंपनी अधिनि 248 और 249 के साथ पठित धारा 251 के अंतर्गत किसी भी स्तर पर धोखाधड़ी वाला पाया जाता है, तो मैं/ह उत्तरदायी होंगे।	
संलग्नक  (क) *खातों का वह विवरण जो एसटीके-8 में  आवेदन की तारीख से तीस दिन पहले से अधिक  का नहीं है जो कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों को दर्शाता हो।	दयांचा दाउनलोद
एक्सेल में प्ररूप से जुड़ी कंपनी की संपत्ति और देनदारियों को दर्शाने वाले खातों का विवरण जो एक दिन में, अ	ावेदन की तारीख
से तीस दिन से अधिक पूर्व में नहीं बनाया गया है	
* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना डीएससी बॉक्स	
* नाम	

	सेव जमा
केवल कार्यालय उपयोग के लिए:	
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)	
ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	
अधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर	
यह ई-प्ररूप इसके द्वारा अनुमोदित है	डीएससी बॉक्स
इस ई-प्ररूप को अस्वीकार कर दिया जाता है	डीएससी बॉक्स
हस्ताक्षर करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	

# प्ररूप सं. एसटीके-6 सार्वजनिक सूचना

[कंपनी अधिनियम,	2013 की	धारा 2	48 की	उपधारा	(1) औ	र उपधारा	(4)	और	कंपनी	(कंपनी	रजिस्टर	$\overrightarrow{\mathcal{H}}$	कंपनियों	का	नाम	हटाना)	नियम,	2016
के नियम 7 के अन्	न्सरण में]																	

## भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

त्वरित कारपोरेट समापन प्रसंस्करण केन्द्र (सी-पेस का पता और ई-मेल)

	(₹	ी-पेस का पता और ई-मेल)	
सार्वजनिक सूचना सं		तारीखः	
		विनिर्देश	
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा	248 (2) के अधीन कंपनि	यों का नाम हटाने के संबंध मेः	
1.	मैसर्स	[आरओसी/248(2)/	/वर्ष
2.	मैसर्स		
3.	मैसर्स		

एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी रजिस्ट्रार को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के अधीन उपर्युक्त कंपनियों से कंपनियों के रजिस्टर से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे या तो इस आधार पर कि वे अपने निगमन के एक वर्ष के भीतर व्यवसाय शुरू करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती दो वितीय वर्षों से कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसी अविध के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त की है / जापन के अभिदाताओं ने उस अभिदान का भुगतान नहीं किया है जो उन्होंने किसी कंपनी के निगमन के समय भुगतान करने का वचन किया था और इस आशय की घोषणा धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन इसके निगमन के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर दायर नहीं की है/ कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है, जैसा कि धारा 12 की उप-धारा (9) के तहत किए गए अस्तित्व जांच के बाद पता चला है, किंतु यह / वे कंपनियों के रूप में अपना पंजीकरण जारी नहीं रखना चाहते हैं और इसलिए, कंपनियों के रजिस्टर से अपने नाम हटाने का अन्रोध किया।

- (2) तदन्सार, कंपनी रजिस्ट्रार का प्रस्ताव उपर्युक्त कंपनियों के नामों को कंपनी रजिस्टर से हटाने का है।
- (3) कंपनियों के रजिस्टर से प्रस्तावित हटाने या कंपनियों के नाम को हटाने पर आपित करने वाला कोई भी व्यक्ति इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपित भेज सकता है।

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र <प्राधिकृत अधिकारी का पूरा नाम>

कंपनी रजिस्ट्रार/कंपनी के अतिरिक्त रजिस्ट्रार/कंपनी के संयुक्त रजिस्ट्रार/ कंपनी के उप रजिस्ट्रार/कंपनी के सहायक रजिस्ट्रार संबंधित अधिकारिता वाले कंपनी रजिस्ट्रार के लिए निमित्त और उनकी ओर से

कंपनी रजिस्ट्रार

त्वरित कारपोरेट समापन प्रसंस्करण केन्द्र

### प्ररूप सं. एसटीके-7

# नाम हटाने तथा विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) और कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसार]

### भारत सरकार

### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

≤त्वरित कारपोरेट समापन प्रसंस्करण केन्द्र /कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय≥

(≤ सी-पेस सी-पेस /आरओसी का पता≥)									
नोटिस सं	गेटिस सं तारीखः								
संदर्भः									
	कंपनी अधिनियम, 2013 और <b>अनुलग्नक 'क'</b> के रूप में संलग्न सूची के अनुसार कंपनियों के मामले में।								
यह इस व	यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और अन्लग्नक-क में उल्लिखित एसआरएन जो आवेदन (प्ररूप एसटीके 2) के बारे में हैं, और प्ररूप एसटीके-5 में								
नोटिस टि	र्नांक'	से सं	बंधित है। नोटिस	प्रकाशित किया	गया है कि कंपनी अ	धिनियम, 2013 की	धारा 248 उपधारा	ं (5) के 🤅	अनुसार
अनुलग्नक	न "क" के अनुसार	र संल	ग्न सूची के अनुर	गर कंपनियों का	नाम या कंपनी का नाम	कंपनियों के	रजिस्टर से इस टि	¦न <तारीख	;> हटा
दिया गया	ा है तथा उक्त क <u>ं</u>	पनियं	ों को विघटित क	र दिया गया है।					
अनुलग्नक	न क								
क्र.सं.	एसटीके-2	का	एसटीके-2	सीआईएन	कंपनी का नाम	एसटीके-6 नोटिस	एसटीके-6 के	नोटिस	की
	एसआरएन		फाइलिंग र्क	T		सं.	उत्पत्ति तिथि		
			तारीख						

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र <प्राधिकृत अधिकारी का पूरा नाम>

कंपनी रजिस्ट्रार/कंपनी के अतिरिक्त रजिस्ट्रार/कंपनी के संयुक्त रजिस्ट्रार/ कंपनी के उप रजिस्ट्रार/कंपनी के सहायक रजिस्ट्रार संबंधित अधिकारिता वाले कंपनी रजिस्ट्रार के लिए निमित्त और उनकी ओर से

कंपनी रजिस्ट्रार

त्वरित कारपोरेट समापन प्रसंस्करण केन्द्र

[य

कंपनी रजिस्ट्रार/कंपनी के अतिरिक्त रजिस्ट्रार/कंपनी के संयुक्त रजिस्ट्रार/ कंपनी के उप रजिस्ट्रार/कंपनी के सहायक रजिस्ट्रार

[फा. सं. 1/28/2013-सीएल-V (पार्ट-III)]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

िटप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि.1174(अ) तारीख 26 दिसम्बर, 2016 के द्वारा प्रकाशित किये गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 355(अ) तारीख 12 अप्रैल, 2017, सा.का.नि. 350 (अ) तारीख 8 मई, 2019, सा.का.नि. 420(अ) तारीख 29 जून, 2020 सा.का.नि. 436(अ) तारीख 9 जून, 2022 और सा.का.नि. 658(अ) तारीख 24 अगस्त, 2022 द्वारा संशोधित किये गए थे।

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2023

- G.S.R. 298(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (4) of section 248 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016, namely:-
- 1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Amendment Rules, 2023.
  - (2) They shall come into force on 01st May, 2023.
- 2. In the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016 (hereafter referred to as the said rules), in rule 4,-
  - (i) for sub-rule (1), following sub-rule shall be substituted, namely:-
- "(1) An application for removal of name of a company under sub-section (2) of section 248 shall be made to the Registrar, Centre for Processing Accelerated Corporate Exit in Form No. STK-2 along with fee of ten thousand rupees.";
- (ii) in sub-rule (3), clause (iv) shall be omitted;
- (iii) after sub-rule (3) the following shall be inserted, namely :-
- "(3A) The Registrar, Centre for Processing Accelerated Corporate Exit established under sub-section (1) of section 396, shall be the Registrar of Companies for the purposes of exercising functional jurisdiction of processing and disposal of applications made in Form No. STK-2 and all matters related thereto under section 248 having territorial jurisdiction all over India.".
- 3. In the said rules, for Form No. STK-2, Form No. STK-6 and Form No. STK-7 the following Forms shall be substituted, namely:-

# Form No. STK-2

# Application by company to ROC for removing its name from register of companies

[Pursuant to Section 248(2) of the Companies Act, 2013 and Rule 4(1) of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in \* are mandatory



# Form language

English

Hindi

· ,		
Entity Details		
1 *Corporate Identification Number (CIN)		
2 (a) *Name of the company		
(b) *Registered office address		
(c) *Email id of the company		
(d) *Whether notice has been received from Registrar in Form STK-1	O Yes	O No
under section 248(1)		
(e) Reasons for closure of the company		▼
(Failed to commence business within one year of incorporation/ Not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has not made any application within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455/ The subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of incorporation under sub-section (1) of section 10A/The company is not carrying on any business or operations as revealed after the physical verification carried out under subsection (9) of the section 12}		
3 *Whether the company has been delisted	O Yes	O No
4 *Whether the company's activities is/are regulated by a Sectoral Regulator like RBI, SEBI, IRDAI etc. under a special Act	O Yes	O No
(a) If Yes, specify Name of the regulator		▼
(Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/Insurance Regulatory and  Development Authority/ Others)		
If Others, please specify		
(b) Date of approval of regulatory body (DD/MM/YYYY)		
5 *Whether special resolution is passed for removal of name	O Yes	O No
SRN of related Form No. MGT-14 (for filing of Special Resolution)		

		ts of the company as per Mem	orandum		
	Association (MOA)				
7 Det	ails of director(s), Managing	Director, Manager, Secretary	, CEO or CFO of the comp	pany	
*Nı	umber of director(s), Managir	ng Director, manager, secretary	, CEO or CFO		
(In	case of director or Managing	g Director, enter Director Ident	ification Number (DIN).		
Ot	herwise provide Income tax-	permanent account number (Ir	ncome tax- PAN) or		
pa	ssport number)				
(a)	*DIN or Income-tax PAN o	r Passport number O DIN	) PAN O Passport num	nber	
(b)	*Name				
(L	Director(s)/ KMP(s) associated with t	he Company)			
(c)	*Designation				
(d)	Present residential address				
	*Address Line I				
	Address Line II				
					lacksquare
	*Country				
	*Pin code				
	**				
	*Area/Locality				
	*City				
	*District				
	*District				
	*State				
		ations pending against or involv	ving the company	Yes	O No
	or any of its directors				
(b)	Details in respect of pending	g litigation			
	A strong description	Name of the state of			
	Act under which litigation is pending	Name of the authority before which it is pending	Case number	Subject matter	
	I	ii	iii	iv	
	Add Row Delete Ro	ow .			

91, *		son/daughter of *	MD/Dii	rector of *	
here	eby make this application for r	emoving the name of the comp	any from the register of	companies ur	nder section 248 of the Act
and	declare that:				٦
(i) I h	nave been authorized by the B	oard of Directors' resolution No	0. *		dated
*		to sign and submit this ap	pplication for removal of	name of the c	ompany from the register
of com	panies;				
(ii)	The application has been in	accordance with the conditions	s mentioned under sub-s	ection (1) and	(2) of section 248
	and sub-section (1) of section	on 249;			
(iii)	There is no inspection or inv	estigation ordered and carried	out or yet to be carried o	out or being ca	arried out against
	the company and where ins	spection or investigation have b	peen carried out, no pros	ecution is per	nding in any court
	arising out of such inspectio	n or investigation;			
(iv)	The company is neither havi	ing any public deposits which a	re outstanding nor the co	mpany is in d	efault in its
	repayment or interest there	eon;			
(v)	The company does not ha	ve any outstanding loans, secu	ured or unsecured;		
(vi)	The company does not have	e any dues towards income tax,	VAT, excise duty, GST, se	rvice tax or a	ny other tax or
	duty, by whatever name cal	led, payable to the Central or a	ny State Government, sta	atutory autho	rity or local authority.
(vii)	All the other liabilities of the	e company have been settled or	discharged or extinguis	hed;	
(viii)	All the requirements of the	Act and rules made there under	r relating to removing th	ne name of th	he company
	from the register of compar	nies and matters incidental or su	upplemental thereto hav	e been compl	ied with;
(ix)	To the best of my knowledg	e and belief, the information gi	ven in this application an	d its attachm	ents is correct
	and complete;				
(x)	The requisite fees would be	paid;			
(xi)	Consent of seventy-five per	cent members in terms of paid-	up share capital has bee	n obtained.	
I/we u	understand that I/We shall be	liable for punishment as provid	ed under section 251 of	the Companie	es Act, 2013 if the
applica	tion is found to be fraudulent	at any stage within the meanin	g of section 251 read wit	:h sections 24	8 and 249 of the
Compa	inies Act, 2013.				
Attacl	hments				
t	*A statement of accounts show the Company made up to a day pefore the date of application		Max 2 MB	Choose File	Remove Download
		ing the assets and liabilities of ays before the date of applicati		o the form in	excel is made up
*To b	oe digitally signed by			DSC BOX	
*Nan	ne				
*Desi	ignation				
*Mem	bership Number/Certificate o	f Practice Number			

(b) *Indemnity bonds [to be given individually or collectively by the director(s)] in Form No. STK-3 or Indemnity bonds by an authorised representative of administrative Ministry	Max 2 MB	Choose File Remove	Download
/Department in Form No. STK - 3A (as applicable)			
(c) Copy of order / NoC of the concerned regulatory authority	Max 2 MB		Download
(d) Copy of relevant order for delisting, if any, from the concerned Stock Exchange	Max 2 MB	Choose File Remove	Download
(e) *Affidavit in Form No. STK-4	Max 2 MB	Choose File Remove	Download
(f) Optional attachment - if any	Max 2 MB	Choose File Remove	Download
*To be digitally signed by		DSC BOX	
*Director identification number of the director;			
Certificate by practicing professional			
he Companies Act, 2013 and Rules thereunder relevant to this form a priginal records maintained by the Company/applicant which is subject to information material to this form has been suppressed.  *To be digitally signed by  Chartered accountant (in whole-time practice)  Cost accountant (in whole-time practice)  *Company secretary (in whole-time practice)  *Whether associate or fellow  *Membership number  Certificate of practice number		·	
*Note: Attention is also drawn to provision of section 449 which prov	ides for punishment for false	evidence.	
For office use only: e-Form Service request number (SRN)		Save	
e-Form filing date (DD/MM/YYYY)			
Digital signature of the authorizing officer			
This e-form is hereby approved		DSC BOX	
This e-form is hereby rejected		DSC BOX	
Date of signing (DD/MM/YYYY)			

# FORM No. STK --6 PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

### **GOVERNMENT OF INDIA**

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

(Address and email id of C-PACE)

Public Notice No	Date:				
	Reference:				
In the matter of striking off or removal of names of companies under section 248 (2) of					
the Companies Act, 201	3 in respect of :				
1.	M/s[RoC/248(2)//Year]				
2.	M/s				
3.	M/s				

Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

- (2) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.
- (3) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

Digital Signature Certificate <Full name of the Authorising officer >
Registrar of Companies/Additional Registrar of Companies/Joint Registrar of
Companies/Deputy Registrar of Companies/Assistant Registrar of Companies
For and on behalf of the Jurisdictional Registrar of Companies

Registrar of Companies

### FORM No. STK - 7

### NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

### Government of India

Ministry of Corporate Affairs

(Address of  $\leq$ C-PACE C-PACE/RoC>)

Notice No	Date:
Reference:	
In the matter of Companies Act, 2013 and of Companies as per list at	tached as <b>Annexure</b> " <b>A</b> ".

This is with respect to this Office Notice Nos and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned in the Annexure-'A and notice in form STK-5 issued on dated'-----. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of Companies as per list attached as per Annexure "A" or the name of company------have or has this day <date> been struck off from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

#### Annexure A

S. No	SRN of STK-2	Filing date of STK-2	CIN	Company Name	STK-6 Notice no.	STK-6 Notice generation date

Digital Signature Certificate <Full name of the Authorising officer >

Registrar of Companies/Additional Registrar of Companies/Joint Registrar of Companies/Deputy Registrar of Companies/Assistant Registrar of Companies For and on behalf of the Jurisdictional Registrar of Companies

Registrar of Companies

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

[Or]

Registrar of Companies

Registrar of Companies/Additional Registrar of Companies/Joint Registrar of Companies/Deputy Registrar of Companies/Assistant Registrar of Companies

[F. No. 1/28/2013-CL-V(Part-III)]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 of Sub-section (i), vide number G.S.R. 1174(E), dated the 26th December, 2016 and amended, vide notification numbers G.S.R 355(E), dated the 12th April, 2017, G.S.R 350(E) dated the 8th May, 2019, G.S.R 420(E), dated the 29th June, 2020, G.S.R. 436(E), dated the 9th June, 2022 and G.S.R. 658(E), dated the 24th August, 2022.